COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(181)

A 585-III/08

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, जबलपुर (म.प्र.)

अपील प्रकरण क्रमांक : /2008-2009

अपीलार्थी : श्रीमती सुधा देवी रजक
पत्नि श्री महेश प्रसाद रजक
निवासी-334, स्नेह नगर कमला नेहरू
नगर वार्ड, हनुमानपुरी जबलपुर (म.प्र.)

श्री सुबोध गौतम अभि० द्वारा जबलपुर केम्प पर दिनांक 22-5-08 को प्रस्तुत। 22-5-08

वि रू द्ध

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश शासन
द्वारा : उप पंजीयक, जबलपुर.

अपील अन्तर्गत धारा 47 (ए) (5) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899

CR 29-5-08

कमिश्नर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 122/बी-105/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2008 जिसके द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक यथावत् रखा गयाहै, से परिवेदित होकर अपीलार्थी नीचे दर्शाये तथ्यों एवं आधारों पर यह अपील प्रस्तुत कर रही है :-

23/5/08

अपील के तथ्य

1. यह कि, अपीलार्थी/अनावेदिका द्वारा मौजा रानीपुर नंबर बंदोबस्त 401 पटवारी हल्का नं0 25 तहसील व जिला जबलपुर के खसरा नं0 8/2 का हिस्सा कुल रकबा 900 वर्गफुट रहवासी प्रयोजन हेतु श्री नरेश शुक्ला से 4,000/-रूपये में क्रय करने का इकरार किया एवं प्रतिफल की पूर्ण राशि चुकता कर इकरारनामा दिनांक से ही उक्त खाली भूखण्ड का कब्जा प्राप्त कर अपने स्वयं के व्यय से भवन निर्माण करवाकर सन् 1983-84 से लगातार उक्त भवन का टैक्स, नगर निगम में विधिवत् रूप से जमा करवाती रही।

2. यह कि, अपीलार्थी द्वारा उक्त अनुबंधित सम्पत्ति का बैनामा दिनांक 13.12.2004 को विक्रेता श्री नरेश शुक्ला से अपने पक्ष में निष्पादित करा लिया। उक्त निष्पादित विक्रय-विलेख को श्रीमान् उप पंजीयक जबलपुर में मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 (क) (1) के तहत् दिनांक 17.12.2004 को उचित बाजार मूल्य निर्धारण कर केवल भूखण्ड का ही हस्तांतरण मानकर मात्र 750 X 200 = 1,50,000/-रू.(एक लाख पचास हजार रूपये) संगठित कर विधिवत् प्रवितेदन श्रीमान् कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष प्रस्तुत किया।

क्रमशः----2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक अपील 585–तीन/08 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर
25–5–16	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता दिनांक 19–11–08 को उपस्थित थे किंतु उसके बाद लगातार अनुपस्थित हैं । आवेदक को उक्त दिनांक के बाद कई बार सूचना पत्र जारी किया गया किंतु फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को आगे चलाने में कोई रूचि नहीं है । अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	